निदेशालय

।। गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर ।।

फोन :– 0141–2612591, फैक्स : 0141–2603407, ई–मेल : sso1rajhg@hotmail.com
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांकः गृरमु/प्रशि./टी–1(1–2) पॉ/2008/30292-3034-1 दिनांक : 28.10.2022

स्थाई आदेश संख्या 01/2022 (संशोधित)

निदेशालय, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या : गृरमु/प्रशि./टी–1(1–2)/2008/1713–54 दिनांक 20.01.2019 के द्वारा गृह रक्षा सदस्यता में रहते हुए स्वयंसेवक/स्वयंसेविका की मृत्यु होने पर उसके आश्रित (Next of Kin) को अनुकम्पात्मक गृह रक्षा सदस्यता प्रदान करने के प्रावधान किये गये है।

होम गार्डस एक्ट 1963 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर गृह रक्षा विभाग में मृतक स्वयं सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक सदस्यता दिये जाने के संबंध में जारी पूर्व स्थाई आदेश दिनांक 11.05.2022 को विलोपित कर एवं राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के प्रावधानों को समाहित करते हुए निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते हैं –

1. स्वयंसेवक/स्वयंसेविका की मृत्यु होने पर उसके आश्रित :–
   (क) विवाहित स्वयंसेवक/स्वयंसेविका द्वारा मनोनीत पति/पत्नि या मनोनीत द्वारा इंगित पुत्र/अविवाहित या विवाह विच्छिन (तलाकशुदा) पुत्री/वैध दत्तक पुत्र या पुत्री मृतक स्वयंसेवक/स्वयंसेविका के आश्रित अनुकम्पात्मक गृह रक्षा सदस्यता के लिए पात्र होगें।
   (ख) अविवाहित स्वयंसेवक/स्वयंसेविका द्वारा मनोनीत माता/पिता या अविवाहित भाई/बहन या विवाह विच्छिन (तलाकशुदा) बहन अथवा मनोनीत द्वारा इंगित अविवाहित भाई/बहन, जो मृतक स्वयंसेवक/स्वयंसेविका की मृत्यु के समय पूर्णतया उस पर आश्रित थे, मृतक स्वयंसेवक/स्वयंसेविका के आश्रित अनुकम्पात्मक गृह रक्षा सदस्यता के लिए पात्र होगें।
2. मृतक स्वयंसेवक/स्वयंसेविका की मृत्यु दिनांक से 90 दिवस की अवधि में सम्बन्धित गण समादेष्टा/समादेष्टा कार्यालय द्वारा उसके आश्रित से निर्धारित प्रफोर्मा (परिपत्र क्रमांक 1713–54 दिनांक 28.01.2019 के अनुसार) में आवेदन प्राप्त कर अपनी अभिषंशा सहित निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगें। आवेदक, आवेदन में उल्लेखित परिवार के समस्त सदस्यों की (सभी स्रोतों से) मासिक आय एवं उनके भरण–पोषण के समर्थन में शपथ–पत्र एवं अन्य आश्रित आवेदक के नामांकन के समर्थन में शपथ–पत्र प्रस्तुत करेंगें। परंतु जहां पति/पत्नि स्वयं के लिए सदस्यता नहीं चाहता/चाहती है और शेष आश्रितों में ज्येष्ठतम (इंगित) संतान ने भी 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो (इस आशय की सूचना स्वयंसेवक की मृत्यु से तीन माह के भीतर लिखित में प्राप्त की जावे) तो वहां परिसीमा की उपर्युक्त कालावधि ऐसे ज्येष्ठतम (इंगित) आश्रित द्वारा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से प्रारम्भ होगी।
3. अनुकम्पात्मक गृह रक्षा सदस्यता हेतु आवेदन में देरी होने सम्बन्धी अपवादिक मामले में न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण रीति से निपटाने के लिए महानिदेशक एवं महासमादेष्टा मामले विशेष में शिथिलता प्रदान कर सकेंगें।
4. गृह रक्षा सदस्यता हेतु आवेदक की पात्रता अनुसार महानिदेशक एवं महासमादेष्टा द्वारा अंतिम निर्णय लिया जावेगा एवं स्वीकृति जारी होने पर गण समादेष्टा/समादेष्टा आश्रित का नामांकन करेंगें। उपरोक्त प्रक्रिया में समय लगने के दृष्टिगत मृतक सदस्य के रिक्त पद को आगामी 01 वर्ष तक आरक्षित रखा जायेगा। आश्रित को गृह रक्षा सदस्यता हेतु स्वीकृति मिलने पर संबंधित गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र पर चलाये जाने वाले आगामी बुनियादी प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावे। बुनियादी प्रशिक्षण के बाद ही ड्यूटी पर नियोजित किया जा सकेगा।
5. नियमानुसार आश्रित आवेदक को नामांकन के समय गृह रक्षा अधिनियम 1963 की धारा 3 में विहित आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष के भीतर होना चाहिए। परंतु–
   (i) राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के प्रावधान अनुसार किसी विधवा आवेदक के लिए कोई ऊपरी (अधिकतम) आयु सीमा नहीं होगी।

28/10

Scanned with CamScanner

(ii) शिथिलता प्ररकणों में महानिदेशक एवं महासमादेष्टा द्वारा ऊपरी (अधिकतम) आयु सीमा उस कालावधि में 5 वर्ष तक शिथिलनीय या 40 वर्ष की आयु तक की जो भी कम हो, दी जा सकेगी।

(iii) आयु की संगणना करने के लिए निर्णायक तारीख, नामांकन के लिए आवेदन प्राप्त करने की तारीख होगी। एक उपयुक्त पद की व्यवस्था करने में बीता समय आश्रित को निरर्हित नहीं करेगा यदि वह उस कालावधि के दौरान अधिकायु हो जाता है।

(iv) शैक्षणिक योग्यता– होम गार्ड नियम 1962 की धारा 03 के अनुसार वर्तमान में आठवीं उतीर्ण।

(v) नामांकन प्रक्रिया– राज्य सरकार की स्वीकृति क्रमांक प.4(10)गृह–7/2004 दिनांक 28.08.2019 के अनुसरण मे निदेशालय के निर्धारित बोर्ड द्वारा उस वित्तीय वर्ष में विभिन्न इकाईयों में उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध, प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर समय–समय पर अनुकम्पात्मक नामांकन प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी। आवेदक को निम्नानुसार शारीरिक मापदण्ड परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा –

मापदण्ड	सामान्य क्षेत्र		बांरा जिले के सहरिया हेतु	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
न्यूनतम ऊंचाई	168 से.मी.	152 से.मी.	160 से.मी.	145 सेमी
सीना (केवल पुरूषों के लिए)	बिना फुलाए–81 से.मी. फुलाने पर –86 से.मी. (सीने का कम से कम फुलाव 5 से.मी.)	लागू नहीं	बिना फुलाए–74 सेमी फुलाने पर –79 सेमी (सीने का कम से कम फुलाव 5 से.मी.)	लागू नहीं
वजन (केवल महिलाओं के लिए)	लागू नहीं	47.5 किग्रा.	लागू नहीं	43 किग्रा.

अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों को न्यूनतम लम्बाई एवं सीने की न्यूनतम माप में 5 से.मी. की छूट दी जा सकेगी, किन्तु 5 से.मी. सीना फुलाये जाने की अनिवार्यता रहेगी। योग्य पाये गये अभ्यार्थियों को मेडीकल बोर्ड से चिकित्सकीय परीक्षण एवं पुलिस सत्यापन में उपयुक्त पाये जाने पर ही नामांकन हेतु पात्र माना जावेगा।

6. मृतक गृह रक्षा स्वयं सेवक की आश्रित विधवा द्वारा नामांकन हेतु स्वयं के सुसुराल अथवा पीहर पक्ष के जिले में से किसी के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। गृह रक्षा स्वयं सेवकों की स्थानान्तरण नीति (स्थाई आदेश संख्या 17/2020 दिनांक 08.09.2020) के बिन्दु संख्या 05 के तहत **"स्वयं सेवक के प्रथम नामांकन के 05 वर्ष पूर्ण होने तक स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा"** का प्रावधान है। यह नियम मृतक स्वयंसेवक की आश्रित विधवा (गृह रक्षा सदस्या) के संबंध में लागू नहीं होगा।

उक्त आदेश जारी करने की तिथि से प्रभावशील होगा।

28/10

(यू.आर.साहू,IPS)
महानिदेशक एवं महासमादेष्टा,
गृह रक्षा, राजस्थान
जयपुर

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप–7) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर ।
3. उपमहासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपर।
5. समस्त सीनियर स्टाफ ऑफिसर, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जूनियर स्टाफ ऑफिसर, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान।
8. समस्त समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
9. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सहायक, अतिरिक्त महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।

महानिदेशक एवं महासमादेष्टा,
गृह रक्षा, राजस्थान
जयपुर

Scanned with CamScanner